उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या– — /XXXVI-A-1/2023-105/2012 T.C.
देहरादून : दिनांक : 29 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011 एवं उच्चतम न्यायालय तथा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में राज्य के विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए सामान्य अनुदेश, 2016 के प्रस्तर–4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्न वर्णित विधि अधिकारियों को उनके अंकित पद पर तत्काल प्रभाव से, अग्रेत्तर आदेश तक, आबद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

DEPUTY ADVOCATE GENERAL (CRIMINAL)

1- Mr. K.S. Bora- Advocate

ADDITIONAL CHIEF STANDING COUNSEL

1- Mr. Kalyan Singh Mehta- Advocate

2- Mr. Rajeev Singh Bisht- Advocate

3- Mr. K.K. Shah- Advocate

STANDING COUNSEL

1- Mr. Jayvardhan Kandpal- Advocate

2- Mr. Devendra Singh Bora- Advocate

3- Mr. Anil Kumar Bisht- Advocate

4- Mr. Rajesh Pandey- Advocate

5- Mr. Devendra Pant- Advocate

ASSISTANT GOVERNMENT ADVOCATE

1- Mr. Vijay Singh Pal- Advocate
2- Mr. Suresh Chand Dumka- Advocate
3- Mr. Devendra Singh s/o Ishwar Singh- Advocate
4- Mr. Bhaskar Chandra Joshi- Advocate
5- Mr. Mrityunjay Kumar Chand- Advocate
6- Mr. M.A. Khan- Advocate

CRIMINAL SIDE (BRIEF HOLDER)

1- Mr. Shaurabh Pandey- Advocate
2- Mr. Vipul Panuli- Advocate
3- Mr. Sandeep Sharma- Advocate
4- Mr. Rakesh Negi- Advocate
5- Mr. Akshay Latwal- Advocate
6- Ms. Meenakshi Sharma- Advocate

CIVIL SIDE (BRIEF HOLDER)

1- Mr. Bhupendra Koranga- Advocate
2- Mr. Deepak Bhardwaj- Advocate
3- Mr. Pan Singh Bisht- Advocate
4- Mrs. Rajni Suyal- Advocate
5- Mr. Bharat Bhushan Tiwari- Advocate

2- उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यावसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है। इस आबन्धन को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताये समाप्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकते हैं। आबद्ध अधिवक्तागण द्वारा अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे और न ही राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे तथा वे विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे।

3– आबद्ध अधिवक्ता राज्य सरकार का पक्ष पूर्ण तैयारी के साथ एवं मजबूती से रखना सुनिश्चित करेंगे। आबद्ध अधिवक्ता प्रत्येक माह की कारगुजारी का विवरण निर्धारित प्रारूप में महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता अथवा मुख्य स्थाई अधिवक्ता के माध्यम से अगले माह की 7 तारीख तक प्रमुख सचिव, न्याय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

4– महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता अथवा मुख्य स्थायी अधिवक्ता आबद्ध अधिवक्तागण द्वारा उनको प्रस्तुत कारगुजारी पर अपना स्पष्ट मंतव्य प्रस्तुत करेंगे तथा उसे पृथक रूप से प्रमुख सचिव, न्याय को अगले माह की 10 तारीख को प्रस्तुत करेंगे।

5— शासकीय अधिवक्ता अथवा मुख्य स्थाई अधिवक्ता, वादों/याचिकाओं/अपीलों आदि का आवंटन समान रूप से एवं इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित अधिवक्ता की जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता हो यथासंभव उसे उस क्षेत्र से संबंधित वाद/अपील/याचिका आदि आवंटित की जाए तथा प्रारंभ से लेकर, वाद/याचिका/अपील आदि के निस्तारण तक, यथासंभव समान अधिवक्ता द्वारा ही प्रभावी पैरवी की जा सके।

6— उक्त आबद्ध अधिवक्ताओं को संलग्न शासनादेश सं0—111/XXXVI-A-1/2020-43एक(1)/2003 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार फीस देय होगी।

7— आबद्ध अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण—पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उक्त शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है।

(नरेन्द्र दत्त)
प्रमुख सचिव

संख्या —369 /XXXVI-A-1/2023-105/2012 T.C. तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
9. सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग/ईरला चेक अनुभाग/न्याय अनुभाग—2 एवं 3, उत्तराखण्ड शासन।
10. सम्बन्धित अधिवक्तागण।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग—4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

23/08/2023

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।